Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 20, Issue No. 2, April-2023, ISSN 2230-7540

समलैंगिकता पर समाज, अपराध और कानून के प्रभाव का विश्लेषण

सुरभि गोस्वामी[1]*, डॉ. रुचि[2]

[1] शोधार्थी, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, जयपुर 304022

[2] सहायक प्रोफ़ेसर, समाजशास्त्र विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, जयपुर 304022

Surabhi.goswami50989@gmail.com

सार - *समलैंगिकता कई वर्षों से बहस का विषय रही है, तर्क के दोनों पक्षों के लोग अपने मामले बना रहे हैं। हाल के महीनों में, उच्च न्यायालय ने भारत में समलैंगिक समुदाय के अधिकारों को स्वीकार करने और उनकी रक्षा करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि समलैंगिक यौन संबंध अब भारत में अपराध नहीं है, जो एक बड़ा कदम है। उच्च न्यायालय ने 6 सितंबर को समलैंगिकता पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, इसलिए याद रखें कि समलैंगिक समुदाय के लिए यह एक बड़ी प्रगति है। समलैंगिक सम्बन्धों के प्रति आकर्षण भी बढ रहा है। लैंगिक उन्मुखीकरण अन्य व्यक्ति के प्रति एक स्थायी, भावनात्मक, रोमांटिक यौन या स्नेही आकर्षण है। इसे जैविक यौन सम्बन्ध, लिंग पहचान सहित लैंगिकता के अन्य पहलूओं से अलग किया जा सकता है। यह भावनाओं, आत्मअवधारणा को संदर्भित करती है। इसलिए यह यौन व्यवहार से भिन्न है। समलैंगिकता हमारे बीच एक सामाजिक समस्या के रूप में प्राचीन काल से विद्यमान रही है, किन्तु भारतीय समाज में इन सम्बन्धों को कभी खुले तौर पर सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। एलजीबीटी (गे, लेस्बियन) समुदाय समाज में हीन भावना, पोषण, बुरे व्यवहारों के समाज के तिरस्कारों, अपमानों से ग्रस्त है, किन्तु समलैंगिक सम्बन्ध अपराध नहीं मानवाधिकार, जीवन जीने का एक अधिकार है। यह लेख समलैंगिक सम्बन्धों के ऐसे ही कुछ पक्षों का चित्रण ळें*

कीवर्ड – *समलैंगिकता, समुदाय, ऐतिहासिक, न्यायालय*

----------X----------

परिचय

भारत में कुछ लोग सभी के समान अधिकार चाहते हैं। वे खुद को "समलैंगिक" कहते हैं, और वे भारतीय संविधान के तहत हर किसी के समान ही व्यवहार करना चाहते हैं। वे कुछ वर्षों से चुपचाप इन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और उन्हें अन्य समूहों से सहायता मिल रही है जो प्रगति में विश्वास करते हैं। हाल ही में, लोगों के एक समूह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाले कानून को चुनौती दी थी।

कुछ लोगों का मानना है कि समलैंगिकता समान लिंग के किसी व्यक्ति के लिए एक रोमांटिक और शारीरिक आकर्षण है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हैं कि लोग समलैंगिक क्यों हो जाते हैं। समाज में कुछ लोग समलैंगिकों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ हैं, लेकिन अन्य इससे सहमत नहीं हैं। यह एलजीबीटी समुदाय के सदस्यों के लिए बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है।

समलैंगिकों की सामाजिक स्थिति

भारतीय संस्कृति में विश्वासों, सिद्धांतों, धर्मों, सिद्धांतों और जीवन के तरीकों की एक विस्तृत श्रृंखला को अपनाने की एक लंबी परंपरा है। दूसरी ओर, भारत एक अत्यंत धार्मिक देश है जो गैर-धार्मिक समुदायों को भी मान्यता देता है। प्राचीन काल में, संस्कृतियों, साहित्य और कलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए जगह थी और समाज अत्यधिक आत्मसात था। भारतीय समाज में सभी प्रकार की मान्यताओं, दिशानिर्देशों, धर्मों, विचारधाराओं और जीवन के तरीकों को लंबे समय से

www.ignited.in

सहन किया गया है। मानव कामुकता बहुआयामी और सूक्ष्म है। जैविक और पर्यावरणीय ताकतें मिलकर विशिष्ट यौन रुझान और पहचान बनाती हैं, जैसा कि वे सभी जटिल दृष्टिकोणों और व्यक्तित्व लक्षणों के साथ करते हैं।

आज, पहले से कहीं अधिक भारतीय किशोर समलैंगिकता और समलैंगिक पहचान को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी कामुकता की पहचान और अपनी लैंगिक प्राथमिकताओं को खुले तौर पर व्यक्त करने का अधिकार एलजीबीटी (समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर) लोगों के लिए एक निरंतर संघर्ष बना हुआ है। उनके परिवारों, घरों और स्कूलों तक ही सीमित हैं। शहरी भारतीय क्षेत्र में ट्रांसजेंडर लोगों या समलैंगिक महिलाओं की तुलना में समलैंगिक पुरुषों का परिदृश्य अधिक आधुनिक है, जिससे एलजीटीबी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ी है। हालाँकि शहरी एलजीबीटी आवाजें कई ऑनलाइन और जमीनी प्लेटफार्मों पर सुनी जाती हैं, जो एलजीबीटी सक्रियता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन वे विभिन्न सामुदायिक चुनौतियों को बहुत कम उजागर करती हैं। समान-सेक्स इच्छाओं की निरंतरता, सुधार के प्रयासों की विफलता, और अभिविन्यास बदलने के लिए उपचारों में सफलता की कमी, सभी का उपयोग यह तर्क देने के लिए किया जाता है कि समलैंगिकता एक स्थिर स्थिति है। इस बात की जागरूकता बढ़ रही है कि समलैंगिकता कोई एक घटना नहीं है, बल्कि घटनाओं का एक समूह है जो समलैंगिकता के ढांचे के भीतर मौजूद है।

हमारे समाज में समलैंगिकों को विभिन्न स्तरों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, अपने घरों के भीतर से लेकर बाहरी दुनिया तक। उनका पूरा जीवन एक संघर्ष है, और यह केवल इसलिए दूर है क्योंकि वे दूसरों की तुलना में एक विशेष यौन अभिविन्यास के साथ पैदा हुए थे। चिकित्सा या मानसिक अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे व्यवहार पूरी तरह से हर्बल हैं। हमारा समाज बहुत जटिल हो सकता हैय एक ओर, हम सभी मौलिक विचारधाराओं और विचारों के साथ, संस्कृतियों के सबसे आधुनिक समाज हैं, लेकिन दूसरी ओर, हम समाजों में सबसे अधिक रूढ़िवादी हैं। हम दूर रहते हैं विवाह पूर्व यौन डेटिंग, अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह, लिव-इन डेटिंग आदि सहित तथाकथित वर्जित विषयों का सामना करना। समलैंगिकता हमारे समाज के सर्वाधिक वर्जित विषयों में से एक है। यहाँ तक कि समलैंगिक या लेस्बियन जैसे शब्दों का उल्लेख करने पर भी आपत्ति जताई जाती है। अंतिम परिणाम के रूप में, समाज ने उन लोगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जो असामान्य या तथाकथित अप्राकृतिक यौन व्यवहार में संलग्न हैं। एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ भेदभाव काफी बड़ा है। और इसकी शुरुआत उनके घरों से होती है, जहां उनके रिश्तेदारों के योगदानकर्ता इसे एक बीमारी या विकृति के रूप में देखते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस प्रकार यदि उनके परिवार में किसी सदस्य का यौन रुझान इस प्रकार का है, तो उनके परिवार के सदस्यों को समाज में शर्मिंदा होना पड़ता है।

योगिता रानी पँवार (2021) सम्पूर्ण भारतीय समाज स्त्री-पुरूष दो यौन वर्गीकरण में विभाजित हैं। स्त्री-पुरूष के बीच शारीरिक आकर्षण होना आम बात है। महिला-पुरूष एक-दूसरे के पूरक हैं, किन्तु इन दोनों के बीच शारीरिक सम्बन्धों को मान्यता तब मिलती है जब एक पुरूष का विवाह एक स्त्री के साथ होना चाहिए। साथ ही सामाजिक तौर पर उन्हें मान्यता मिले वैश्विक युग में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक इत्यादि कई क्षेत्रों में परिवर्तन होने लगे हैं। सामाजिक प्रथाएँ, परम्पराएँ, रूढियाँ, रीति-रिवाज, विचारों, व्यवहारों, आदतों, खान-पान के परिवर्तनों के साथ ही लैंगिक उन्मुखीकरण समलैंगिक सम्बन्धों में वृद्धि दिखाई दे रही है। समलैंगिक सम्बन्धों के प्रति आकर्षण भी बढ रहा है। लैंगिक उन्मुखीकरण अन्य व्यक्ति के प्रति एक स्थायी, भावनात्मक, रोमांटिक यौन या स्नेही आकर्षण है। इसे जैविक यौन सम्बन्ध, लिंग पहचान सहित लैंगिकता के अन्य पहलूओं से अलग किया जा सकता है। यह भावनाओं, आत्मअवधारणा को संदर्भित करती है। इसलिए यह यौन व्यवहार से भिन्न है। समलै ंगिकता हमारे बीच एक सामाजिक समस्या के रूप में प्राचीन काल से विद्यमान रही है, किन्तु भारतीय समाज में इन सम्बन्धों को कभी खुले तौर पर सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। एलजीबीटी (गे, लेस्बियन) समुदाय समाज में हीन भावना, पोषण, बुरे व्यवहारों के समाज के तिरस्कारों, अपमानों से ग्रस्त है, किन्तु समलै ंगिक सम्बन्ध अपराध नहीं मानवाधिकार, जीवन जीने का एक अधिकार है। यह लेख समलैंगिक सम्बन्धों के ऐसे ही कुछ पक्षों का चित्रण है।

समलैंगिकों के साथ होने वाले अपराध

आपराधिक अपराध के संबंध में, एलजीबीटी अपराधियों पर आपराधिक प्रक्रिया के कई बिंदुओं पर वर्तमान में बहुत कम अध्ययन और डेटा उपलब्ध है, जिसमें गिरफ्तारी और हिरासत, आरोप, दोषसिद्धि, सजा और परिवीक्षा और पैरोल शामिल हैं। इससे इन विभिन्न बिंदुओं पर एलजीबीटी असमानताओं की पहचान करना और उन असमानताओं को दूर करने के लिए कानूनी और नीतिगत हस्तक्षेप विकसित करना मुश्किल हो जाता है। उत्पीड़न के संबंध में, एलजीबीटी पीड़ितों पर अधिकांश अध्ययन और उपलब्ध डेटा में घृणा अपराध शामिल हैं, जो निस्संदेह एलजीबीटी उत्पीड़न का एक

महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हालाँकि, गैर-घृणा-प्रेरित परिस्थितियों के संभावित व्यापक सेट पर बहुत कम अध्ययन और डेटा उपलब्ध है, जिसके तहत एलजीबीटी लोग अपराध के शिकार बनते हैं। तदनुसार, परिवार, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्रों में एलजीबीटी भेदभाव के अधिक सूक्ष्म तरीके छाया में छोड़ दिए गए हैं, जो एलजीबीटी लोगों को कई हानिकारक व्यक्तिगत और संपत्ति अपराधों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं।

समलैंगिकों द्वारा सामना की जाने वाली घरेलू हिंसा अक्सर माता-पिता का परिवार ही करता है। जब माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों को पता चलता है कि वे समलैंगिक हैं तो समलैंगिकों को शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। अनुभव की गई हिंसा में मारपीट, घर में नजरबंद करना, शादी के लिए मजबूर करना और परिवार के घर से निष्कासन शामिल है। अन्य उदाहरणों में, हिंसक स्थितियों या अनिवार्य विवाह से बचने के लिए, महिलाओं को अपने पैतृक परिवारों से भागना पड़ा है। ऐसी हिंसक स्थितियों के कई सूचित और अप्रकाशित उदाहरण हैं.

कामुकता अल्पसंख्यकों के खिलाफ कानूनी भेदभाव कई रूप लेता है, सबसे कुख्यात भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 है, जो समलैंगिक व्यवहार को अपराध मानने वाला एक ब्रिटिश औपनिवेशिक कानून है, जो भारतीय कानून की किताब में मौजूद है, हालांकि इसे लंबे समय से हटा दिया गया है। ब्रिटिश कानून की किताब. इस धारा में कहा गया है कि, "जो कोई भी स्वेच्छा से किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है, उसे 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।" आईपीसी के तहत अप्राकृतिक अपराध सोडोमी या पाशविकता हैं। इस अपराध में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों पक्ष उपरोक्त धारा के अनुसार दंड के पात्र हैं। इसलिए यह खंड स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत में सोडोमी निषिद्ध है.

एलजीबीटी अल्पसंख्यक लोग हिंसा और अपराध का शिकार बनते हैं। हालाँकि, एलजीबीटी व्यक्तियों के हिंसा और भेदभाव के अनुभव नस्ल, लिंग, आय, आप्रवासन, स्थिति और भाषा बाधाओं सहित कई कारकों के आधार पर भिन्न होते हैं। एलजीबीटी आप्रवासियों को नस्ल और जातीयता औरध्या यौन पहचान औरध्या लैंगिक पहचान के आधार पर हिंसा का सामना करने की अधिक संभावना है। मुस्लिम देशों में समलैंगिकता जघन्य अपराध है और इसके लिए एलजीबीटी अल्पसंख्यक लोगों पर जुर्माना, कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान है.

मानवाधिकार और मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं लेकिन राज्य एलजीबीटी अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें वास्तविक न्याय प्रदान करने के लिए विशेष कानून बनाने में विफल रहा है। वे भी इंसान हैं और राज्य को इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए।' कई मामलों में एलजीबीटी व्यक्तियों को अपमानजनक और भेदभावपूर्ण कार्यों से कानूनी रूप से संरक्षित नहीं किया जाता है.

भारत में समलैंगिकता को वैधता

"एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के प्रावधान को रद्द कर दिया, जो निजी तौर पर वयस्कों के सहमति से यौन कार्यों को अपराध बनाता है, यह मानते हुए कि यह जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। जैसा कि संविधान में गारंटीकृत है"।

याचिकाकर्ता (पेटीशनर), द नाज फाउंडेशन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया कि यह स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के भाग प्प्प् में निहित (इंप्लाइड) पवित्र मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने तर्क दिया कि इन यौन अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव से अनुच्छेद (आर्टिकल) 14 के तहत समानता के अधिकार का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि, यौन संबंध व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही निजी (प्राइवेट) मुद्दा था। ऐसे संवेदनशील (सेंसिटिव) मुद्दे में राज्य का हस्तक्षेप (इंटरवेन), निजता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन था, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार में निहित है। एक असामान्य यौन अभिविन्यास के आधार पर एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ इस तरह के भेदभाव का एक और प्रभाव भी पड़ा। इसने अनुच्छेद 15;1द्ध के तहत मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन दिखाया, जो राज्य के भेदभाव के आधार के रूप में 'सेक्स' को समाप्त करता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, क्योंकि पीड़ितों को अपनी यौन वरीयताओं (सेक्शुअल प्रिफरेंस) को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने और किसी भी तरह के समलैंगिक व्यवहार में शामिल होने के लिए अपनी मर्जी से आगे बढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था।

"अपनी याचिका को सीमित करते हुए, याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि धारा 377 केवल गैर-सहमति वाले लिंग के गैर-योनि संभोग (नॉन वजैनल सेक्स) और नाबालिगों (माइनर्स) से जुड़े लिंग के गैर-योनि सेक्स पर लागू होनी चाहिए।"

www.ignited.in

समलैंगिकता पर की गई याचिकाएं

2 जुलाई 2009 को नाज फाउंडेशन ¼Naz Foundation½ की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से एकांत में समलैंगिक संबंध बनता है तो उसे आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2013 के फैसले में समलैंगिकता के मामले में उम्रकैद की सजा बहाल रखने का फैसला लिया और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि जब तक धारा 377 रहेगी समलैंगिकता को वैद्य नहीं ठहराया जा सकता।

समलैंगिकता अपराध क्यों नहीं है

उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह दो वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंधों को अपराध नहीं मानता है।

धारा 377 कामुकता के बारे में सोचने के पुराने तरीके पर आधारित है, जबकि समलैंगिकता कोई मानसिक विकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह उन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता है जो एलजीबीटी (समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर) के रूप में पहचान करते हैं।

2 जुलाई 2009 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो लोग निजी तौर पर दो वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाते हैं, उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अपराध का आरोप नहीं लगाया जाएगा।

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समलैंगिकता को वैध नहीं किया जा सकता है, भले ही भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि यह अभी भी एक आपराधिक अपराध माना जाता है।

2013 में, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समलैंगिक सेक्स कानूनी था। हालाँकि, 2018 में, न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है कि यह अब फिर से कानूनी है।

समलैंगिक समुदाय के अधिकारों पर लंबे समय से बहस चल रही है, और अब, भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें मान्यता दिए जाने के बाद, भारत अन्य 125 देशों में शामिल हो गया है जहाँ समलैंगिकता कानूनी है। हालाँकि इसे अभी भी 72 देशों में एक अपराध माना जाता है, कानून में इस बदलाव का मतलब है कि भारत में समलैंगिक लोगों के पास पहले की तुलना में अधिक अधिकार हैं।

भारत में समलैंगिक अधिकार एवं जागरूकता

कुछ लोग पूरी दुनिया में समलैंगिक लोगों के लिए मतलबी हैं। कुछ देश समलैंगिक लोगों के लिए अच्छे व्यवहार करने लगे हैं, लेकिन अन्य देश अभी भी बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं। नीदरलैंड पहला देश था जिसने कहा था कि एक ही लिंग के दो लोग शादी कर सकते हैं। इससे लोग समलैंगिक लोगों के अधिकारों के बारे में अधिक बात करने लगे। कई जगहों पर समलैंगिकों का समर्थन करने वाले समूह उनकी मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यहां तक कि भारत में भी लोग समलैंगिक लोगों की मदद करने के बारे में अधिक बात करने लगे हैं।

2001 में, कुछ लोग एक ऐसे कानून को बदलने की कोशिश करने के लिए अदालत गए, जिसने एक ही लिंग के दो लोगों के रिश्ते में होने को अवैध बना दिया था। उन्होंने कहा कि यह कानून कई लोगों के अधिकारों के खिलाफ गया। अदालत को यह तय करना था कि यह कानून उचित था या नहीं। उन्हें फैसला लेने में करीब **9** साल लग गए। सरकार भी इसमें शामिल हो गई, कुछ हिस्सों ने कहा कि उन्हें कानून से छुटकारा पाना चाहिए, और अन्य कह रहे हैं कि उन्हें इसे बनाए रखना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि समलैंगिक होना एक बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है।

कुछ लोगों ने सरकार से एक ऐसे कानून में बदलाव करने के लिए कहा है जो कहता है कि एक ही लिंग के दो लोगों के लिए रोमांटिक संबंध रखना गलत है। उनका कहना है कि यह कानून उचित नहीं है क्योंकि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी से भी प्यार करें। वे यह भी सोचते हैं कि यह कानून कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों के खिलाफ जाता है जो सभी के पास होने चाहिए, जैसे अच्छा जीवन जीने का अधिकार और निजता का अधिकार। उन्हें चिंता है कि यदि वे बीमार हो जाते हैं तो यह कानून लोगों के लिए सहायता प्राप्त करना कठिन बना सकता है क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ भेदभाव किया जाएगा।

2009 में, दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि धारा 377 नामक एक कानून, जिसने वयस्कों के लिए सहमति से समलैंगिक संबंधों को निजी तौर पर अवैध बना दिया था, देश के संविधान के खिलाफ था। इसने एलजीबीटी अधिकारों का समर्थन करने वाले बहुत से लोगों को खुश कर दिया। लेकिन फिर फैसले को चुनौती दी गई और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून आंशिक रूप से संविधान के खिलाफ था लेकिन सरकार इसे बदलना नहीं चाहती थी। इसलिए समलैंगिक संबंध फिर से अवैध हो गए। लेकिन 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया

फैसला सुनाया और कहा कि लोगों के लिए समलैंगिक संबंध रखना ठीक है, बिना कानून के।

समलैंगिक जनो का आंदोलन

भारतीय समाज में ज्यादातर लोगों से अलग तरह के यौन संबंध रखने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को समलैंगिक कहा जाता है, और उनका यौन व्यवहार अधिकांश लोगों के व्यवहार से अलग होता है। समलैंगिक पुरुष अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं, और समलैंगिकों अन्य महिलाओं के साथ यौन संबंध रखते हैं। वे विपरीत लिंग, यानी पुरुष या महिला के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं।

ऐसे लोग हैं जिन्हें "हेर्मैप्रोडाइट्स" कहा जाता है - ये लोग पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं। वे अंत में उन दोनों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, जो उनके लिए एक तरह से मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग जो समलैंगिक हैं या शादी से बाहर लोगों के साथ यौन संबंध रखते हैं, उन्हें समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, और उन्हें अक्सर अपनी कामुकता को छुपाना पड़ता है। अधिकांश लोग वास्तव में उनकी परवाह नहीं करते हैं, भले ही वे उनके साथ बुरा व्यवहार करते हों। कुछ देशों में, जो लोग समलैंगिक हैं या शादी से बाहर यौन संबंध रखते हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा सकता है। इसलिए वे अक्सर सब कुछ शांत ही रखते हैं। साथ ही, अगर उनके यौन व्यवहार का पता चला, तो वे अपनी नौकरी खो सकते हैं।

कुछ समलैंगिक छात्र इस बात से बहुत तनावग्रस्त महसूस करते हैं कि दूसरे लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्हें अक्सर स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि वे वहां सुरक्षित नहीं होते। वे अक्सर अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क खो देते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि अमेरिका में 30% समलैंगिक छात्रों को अपनी कामुकता के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा है। दुनिया में बेघर लोगों में से 40% समलैंगिक हैं।

गे, लेस्बियन एंड स्ट्रेट एजुकेशन नेटवर्क नामक संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, 10 में से 9 छात्र जो समलैंगिक हैं उन्हें अपने साथियों से अपमान का सामना करना पड़ता है। नेशनल स्कूल क्लाइमेट सर्वे (2007) के आंकड़े बताते हैं कि समलैंगिकों को न केवल समाज में बहिष्कृत किया जाता है, बल्कि लगभग 31.7% समलैंगिक छात्र इतना असुरक्षित महसूस करते हैं कि वे एक कक्षा छोड़ देते हैं, और 32.7% को साप्ताहिक रूप से धमकाया जाता है।

समलैंगिकताः सामाजिक नैतिकता बनाम संवैधानिक सर्वोच्चता

उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि समान लिंग के लोगों के प्रति आकर्षित होना ठीक है और यह कोई बुरी बात नहीं है। यह स्लथजेएफ समुदाय के लिए वास्तव में अच्छी खबर है और दिखाता है कि उनके पास समर्थन है। एक विशेष प्रकार की अदालत जिसे "संवैधानिक पीठ" कहा जाता है, ने यह तय करने के लिए बैठक की कि क्या यह देश के नियमों के अनुसार ठीक है। यह समूह तभी मिलता है जब नियमों के बारे में कोई बड़ा प्रश्न हो, और वे बहुत महत्वपूर्ण हों। उन्होंने फैसला किया कि समलैंगिक होना ठीक है, और यह एक बड़ी बात है!

न्यायाधीश वे लोग होते हैं जो कानून के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। उनके निर्णय वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे अन्य लोगों को भविष्य में निर्णय लेने में मदद करते हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम खानविलकर, न्यायमूर्ति रोहिंग्टन एफ नरीमन, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा जैसे कुछ न्यायाधीश वास्तव में स्मार्ट और निष्पक्ष निर्णय लेने में अच्छे हैं जो लोग याद रखेंगे।

एक नए फैसले के बारे में लोगों की अलग-अलग राय है जो किया गया था। कुछ लोग सोचते हैं कि यह सरकार को अधिक जिम्मेदार बनाकर समाज को अधिक निष्पक्ष बना देगा। दूसरों का मानना है कि यह लोगों की गोपनीयता और विकल्पों की रक्षा करेगा। हालाँकि, कुछ लोग चिंतित हैं क्योंकि सरकार ने यह नहीं बताया है कि वे निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोग इसके बारे में खुश हैं, लेकिन अन्य नहीं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह अच्छा है क्योंकि यह लोगों के अधिकारों के प्रति सम्मान दर्शाता है, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है। लोगों के अलग-अलग विचार हैं कि यह अच्छी बात है या नहीं।

समलैंगिकता को लेकर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है और लोग इस पर खूब बातें कर रहे हैं. फैसला चाहे उच्च न्यायालय का हो या सरकार का, इसे समाज में लागू करना ही होगा, इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है और भारत में लोगों के साथ समलैंगिकों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाता रहा है. लोग यह भी सोच रहे हैं कि क्या यह निर्णय भारतीय लोगों की इच्छा को दर्शाता है, और यदि ऐसा है तो यह अच्छी बात है या बुरी बात है? लोग यह भी सोच रहे हैं कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को निरस्त करने की आवश्यकता है, और यदि हां, तो क्यों? लोग यह भी सोच रहे हैं कि क्या संवैधानिक श्रेष्ठता के पक्ष में प्राकृतिक श्रेष्ठता को त्यागा जा सकता है और यदि ऐसा है तो इसके क्या परिणाम होंगे? आखिर हमारा लक्ष्य यह पता लगाना है कि इस फैसले

www.ignited.in

का आधार क्या है और भारतीय समाज के लिए इसका क्या मतलब होगा।

निष्कर्ष

भारतीय समाज में समलैंगिकों के सामाजिक मुद्दों की लगातार अनदेखी होती रही है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद एलजीबीटी समुदाय के लोगों के बीच खुशी का माहौल है, तथा इस फैसले के बाद इस समुदाय को समाज के मुख्यधारा से जुड़ने का मौका मिलेगा साथ ही देश के सामाजिक ताने-बाने के साथ लोगों के बीच एलजीबीटी समुदाय के प्रति उनकी मानसिकता में बदलाव आएगा। समलैंगिक यौन संबंधों को सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी मान्यता के बाद अब यह सवाल उठना बंद हो जाएगा की धारा 377 संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। लेकिन बराबरी का हक पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अभी भी इस समुदाय को सामाजिक मान्यता पाने के लिए बहुत दूर तक चलना होगा। अप्राकृतिक यौन अपराध कई वर्षों से सुर्खियों में रहे हैं। कानूनों की विभिन्न व्याख्याएं की गई हैं, और उनकी सीमा का भी अध्ययन किया गया है। अभी भी स्पष्ट शब्दों के साथ प्रावधान करने की आवश्यकता है जो ऑपरेशन की सीमा को प्रदर्शित करता हो। हालाँकि, नवतेज सिंह जौहर के फैसले के पारित होने के साथ, कई चीजें स्पष्ट हो गई हैं, और एलजीबीटीक्यू समुदाय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न अधिकार दिए गए हैं। कोई कार्य संवैधानिक है या असंवैधानिक, यह निर्धारित करने के लिए सहमति को एक प्रमुख विशेषता घोषित किया गया है। मेरी राय में, "प्रवेश" शब्द का उपयोग इस धारा के दायरे को सीमित करता है, और कई अपराध ग्रे क्षेत्र में बने रहते हैं।

सन्दर्भ

1. व्हिटली, बीई जूनियर ;2009द्ध। "धर्म और समलैंगिकों और समलैंगिक पुरुषों के प्रति दृष्टिकोणः एक मेटा-विश्लेषण"। धर्म के मनोविज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल । 19: 21-38। डोई: 10-1080/10508610802471104 A S2CID 144916048 A
2. डीक, सी.य सरोग्लू, वी। 2015। "गर्भपात, समलैंगिक गोद लेने, इच्छामृत्यु और आत्महत्या का विरोधः अनुकंपा खुलापन या आत्म-केंद्रित नैतिक कठोरता?"। धर्म के मनोविज्ञान के लिए पुरालेख । 37: 267-294। डोई: 10-1163/15736121&12341309 । एस २ सीआईडी २८ ९ ६०४०१ ।
3. एडमजिक, एमी ;2017द्ध। समलैंगिकता के बारे में क्रॉस-नेशनल पब्लिक ओपिनियनः एक्जामिनिंग एटीट्यूड पार द ग्लोब । कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस। पीपी 17-18। आईएसबीएन ९७८०५२०९६३५९७.
4. श्नाबेल, लैंडन (1 जनवरी 2016)। "1970 से 2014 तक धार्मिक समूहों में लिंग और समलैंगिकता दृष्टिकोणः समानता, भेद, और अनुकूलन" । सामाजिक विज्ञान अनुसंधान । ५५: ३१-४७. डीओआई: 10.1016ध्ज्े.एस.एस.रिसर्च.2015.09.012 । पीएमआईडी 26680286 ।
5. शूमाकर, रॉबिन (6 अक्टूबर 2012)। "क्या पॉल 1 कुरिन्थियों और 1 तीमुथियुस में समलैंगिकता की निंदा करता है?" . ईसाई पोस्ट । से संग्रहीत मूल 11 अक्टूबर 2013 को । 1 जुलाई 2015 को लिया गया ।
6. पटनायक, देवदत्त (2001)। प्राचीन भारत में समलैंगिकता , क्मइवदंपत 2000 या 2001 निबंध उपलब्ध ऑनलाइन संग्रहीत 22 अक्टूबर 2008 वेबैक मशीन ळंलठवउइंल.वतह से।
7. "एकीकरण चर्च और समलैंगिकता" । धार्मिक सहिष्णुता पर ओंटारियो सलाहकार । 30 नवंबर 2015 को लिया गया ।
8. हर्टो, पी। (2013)। पुरुष समलैंगिकता और विश्व धर्म , पालग्रेव। आईएसबीएन 978-1349475117 ।
9. मैकनट, फ्रांसिस (2006) "क्या समलैंगिकता को ठीक किया जा सकता है?" प्रकाशक 'चुनी हुई किताबें', आईएसबीएन 0-8007-9409-5
10. जॉनसन, पी। और वेंडरबेक, आरएम (2014) कानून, धर्म और समलैंगिकता , एबिंगडनः रूटलेज।

Corresponding Author

सुरभि गोस्वामी*

शोधार्थी, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, जयपुर 304022